

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
अलवर।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार मात्र जिला मुख्यालय पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक एक भी पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अलवर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्रावि/ग्रुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
अजमेर।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार मात्र 5 पंचायत समिति मुख्यालय पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक जिला एवं 4 पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् अजमेर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्रावि/ग्रुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
बांसवाडा।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार मात्र जिला मुख्यालय पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक एक भी पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


21.3.2018
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् बांसवाडा।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि.21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
भरतपुर।

विषय :- निर्माण कार्यो की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार जिला स्तर की पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापना के कारण आवश्यकता नहीं है एवं मात्र 5 पंचायत समिति स्तर पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक 5 पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सैनी) 21.3.2018
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भरतपुर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्रावि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
भीलवाडा।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार जिला स्तर की पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापना के कारण आवश्यकता नहीं है एवं मात्र 10 पंचायत समिति स्तर पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक 2 पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इससे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी) 21.3.2018
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, भीलवाडा।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार अभी तक जिला मुख्यालय व एक भी पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव भा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चित्तौड़गढ़।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि.21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
चूरु।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार मात्र 5 पंचायत समिति मुख्यालय पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक जिला एवं 2 पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् चूरु।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि.21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
धौलपुर।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार अभी तक जिला मुख्यालय व एक भी पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् धौलपुर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्रावि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
डूंगरपुर।

विषय :- निर्माण कार्यो की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार अभी तक जिला मुख्यालय व 07 पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाई एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् डूंगरपुर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्रावि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
श्रीगंगानगर।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार मात्र जिला मुख्यालय पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक एक भी पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सैनी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् श्रीगंगानगर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविदि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018-


जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़।।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार मात्र जिला मुख्यालय एवं 5 पंचायत समिति स्तर पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक 2 पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी) 21.3.2018
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् हनुमानगढ़।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एक 27(317) ग्राविचि /गुप-5 /भीएमएवाई /गुणवत्ता नियंत्रण /2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018

जिला कलक्टर,
जयपुर।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार जिला स्तर की पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापना के कारण आवश्यकता नहीं है एवं मात्र 12 पंचायत समिति स्तर पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक 3 पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला /पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचवि।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचवि।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचवि।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जयपुर।
9. ग्रामाम्, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
जैसलमेर।

विषय :- निर्माण कार्यो की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार अभी तक जिला मुख्यालय व एक भी पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सैनी) 21.3.2018
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जैसलमेर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 2) मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
जालौर।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार मात्र जिला मुख्यालय एवं 4 पंचायत समिति स्तर पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक 4 पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जालौर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।

विषय :- निर्माण कार्यो की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार अभी तक मात्र 2 पंचायत समिति स्तर पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की गई है। जिला एवं 6 पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सैनी) 21.3.2018
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् झुन्झुनू।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्रावि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
जोधपुर।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार मात्र जिला मुख्यालय एवं 2 पंचायत समिति स्तर पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक 14 पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जोधपुर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्रावि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि.2) मार्च, .2018


जिला कलक्टर,
करौली।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार मात्र जिला मुख्यालय एवं 2 पंचायत समिति स्तर पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक 4 पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सार्दा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् करौली।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्रावि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
प्रतापगढ़।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार अभी तक जिला मुख्यालय व एक भी पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सैनी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् प्रतापगढ़।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
राजसमंद।

विषय :- निर्माण कार्यो की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यो में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार मात्र जिला मुख्यालय एवं 1 पंचायत समिति स्तर पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक 6 पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं परावि।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं परावि।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् राजसमंद।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
सवाई माधोपुर।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार मात्र जिला मुख्यालय पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। अभी तक 6 पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं परावि।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं परावि।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं परावि।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सवाई माधोपुर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविवि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
सीकर।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार एक पंचायत समिति स्तर पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित की है। जिला मुख्यालय एवं 8 पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सूदी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् सीकर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्राविवि/ग्रुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
टोंक।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार अभी तक जिला मुख्यालय व एक भी पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद टोंक।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)

एफ 27(317) ग्रावि/गुप-5/पीएमएवाई/गुणवत्ता नियंत्रण/2017-18

जयपुर, दि. 21 मार्च, 2018


जिला कलक्टर,
उदयपुर।

विषय :- निर्माण कार्यों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने बाबत।

प्रसंग :- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20 जुलाई, 2017, 05.09.2017 एवं 26.10.2017, 15.01.2018, 09.02.2018 एवं 28.02.2018


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा विभागीय कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला दिनांक 15.03.2018 तक स्थापित करने एवं प्रयोगशाला स्थापित होने तक आवश्यकतानुसार मोबाईल लैब की सेवा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। जिले की प्राप्त सूचना अनुसार जिला स्तर की पंचायत समिति मुख्यालय पर गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापना के कारण आवश्यकता नहीं है। 6 पंचायत समिति स्तर पर ही गुणवत्ता प्रयोगशाला एवं 3 पंचायत समितियों में मोबाईल लैब स्थापित की है। अभी तक 11 पंचायत समिति स्तर पर गुणवत्ता प्रयोगशाला की स्थापना नहीं की गई है, जो कि विभागीय निर्देशों की अवहेलना है, इसे माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा गंभीरता से लिया है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शेष जिला/पंचायत समिति मुख्यालयों पर एक-एक गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला आवश्यक रूप से दिनांक 31.03.2018 तक स्थापित कराना सुनिश्चित करावे, अन्यथा बाध्य होकर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जावेगी।


21.3.2018
(सुदर्शन सेठी)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
3. विशिष्ट सचिव, माननीय राज्य मंत्री, ग्रावि एवं पंचायत।
4. विशिष्ट सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंचायत।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद उदयपुर।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षक अभियन्ता (ग्रावि)